न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : श्यामसुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 48/2022 (2022/127)

अनवान

1- पदमसिंह उर्फ राजेश पिता अमरसिंह कोठारी निवासी सावा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़

2. मानसिंह उर्फ मोतीसिंह पिता अमरसिंह कोठारी निवासी सावा मृतक के बजाय :-

2/1 आशिष कुमार पिता मानसिंह उर्फ मोतीसिंहजी कोठारी निवासी सावा हाल 62-45 से.नं. 9 हिरण मगरी उदयपुर

2/2 रक्षित कुमार पिता मानसिंह उर्फ मोतीसिंहजी कोठारी निवासी सावा हाल 62-45 से.नं. 9 हिरणमगरी उदयपुर

— वादीगण

बनाम

1- श्री सज्जनसिंह पिता अमरसिंहजी कोठारी निवासी सावा

2- श्री जाहरसिंह पिता अमरसिंहजी कोठारी निवासी सावा

3- श्री सुरेशचन्द्र पिता अमरसिंहजी कोठारी निवासी सावा

4- श्री मोहनसिंह पिता अमरसिंहजी कोठारी निवासी सावा मृतक के बजाय :-

4/1 श्रीमती चांदीबाई पत्नी मोहनसिंहजी कोठारी निवासी सावा

4/2 श्यामसुन्दर पिता मोहनसिंहजी कोठारी निवासी सावा

4/3 बलवन्तसिंह पिता मोहनसिंहजी कोठारी निवासी सावा

4/4 दीपशिखा पुत्री मोहनसिंहजी ... [illegible] ...न्द्रजी काबरा निवासी नीमच हाल मु... [illegible]

4/5 रेखा पुत्री ... [illegible] ... जी ... निवासी भावली ... [illegible] ... (राज.)

—— लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:23:38 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ — जिला चित्तौड़गढ़

5. श्रीमान मुख्त्यारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़
6. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़

— प्रतिवादीगण

कार्यवाही :- अन्तर्गत धारा 88 राज० काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- 1 श्री छोगालाल डाड अधिवक्ता वादीगण
2- श्री जितेन्द्र ओझा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 10/3/2022

संक्षिप्त प्रकरण विवरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर॰टी॰ए॰ इस आशय का प्रस्तुत किया कि कस्बा चित्तौड़गढ़ के गत खसरा नं. 678/2 रकबा 8 बिस्वा 678/3 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा खसरा नम्बर 678/4 रकबा 4 बिस्वा जो मोहनसिंह मोतीसिंह सज्जनसिंह सुरेशचन्द्र ललीतचन्द्र राजेश पिता अमरसिंह कोठारी निवासी खाता के नाम दर्ज रेकार्ड थी नवीन सेटलमेन्ट में उक्त वर्णित आराजीयात के नये नम्बर 3258, 3259, 3260 बने है। उक्त वर्णित आराजीयात 678/2, 678/3, 678/4 के मूल खातेदार अमरसिंह कोठारी की मृत्यु उपरान्त जो नामान्तकरण किया गया उसमे वादी संख्या 1 चन्दनसिंह का बोलतानाम राजेश व वादी संख्या 2/1, 2/2 के स्वर्गीय पिता मानसिंह का बोलता नाम मोतीसिंह गलत दर्ज किया जो राजस्व कर्मचारियों की भूल व त्रुटि का परिणाम है।

मृतक अमरसिंह जी के ... [illegible] ... निम्न प्रकार हैं :—

... लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:23:38 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

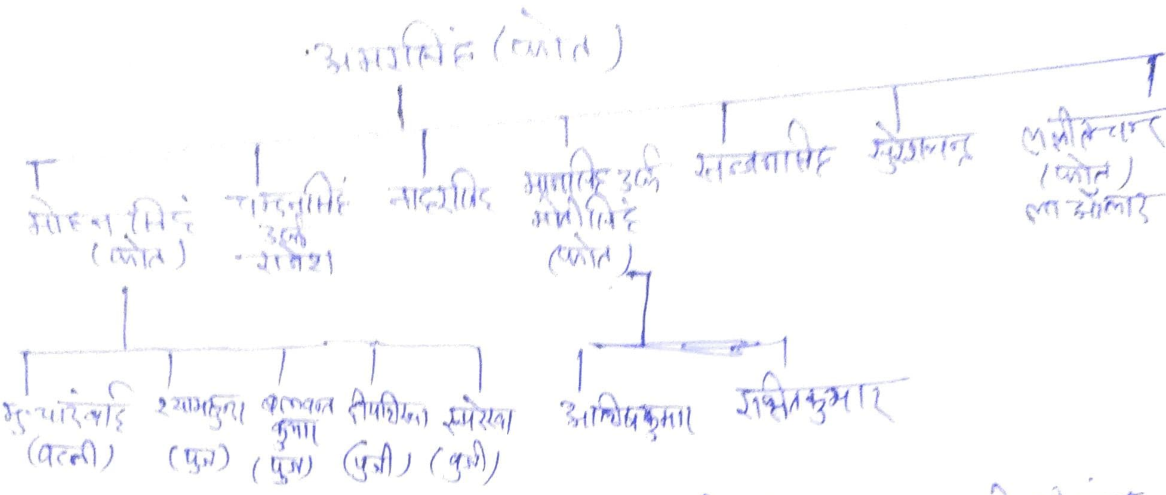

मृतक अमरसिंह जी की मृत्यु वादीसंख्या 1 व वादी संख्या 2/1, 2/2 के पिता के बाल्यकाल मे होगई थी तथा उस समय पटवारी हल्का द्वारा जो विरासत का नामान्तरकरण किया गया उसमे वादी संख्या 1 का घर का बोलतानाम "राजेश" व वादी संख्या 2/1 व 2/2 के पिता का बोलता नाम "मोतीसिंह" दर्ज कर दिया गया। जबकि मतदाता पहचान पत्र, अंक तालिका आधार कार्ड, बैंक पासबुक राजकीय सेवा आदि के दस्तावेजों मे 'राजेश' का चन्दनसिंह व 'मोतीसिंह' का मानसिंह नाम दर्ज है। अमरसिंहजी के परिवार मे ये दोनो व्यक्ति भिन्न-भिन्न नही होकर एक ही व्यक्ति है, जिनके घर के बोलते नाम एवं राजकीय नामो मे भिन्नता है, जिस कारण वारिगण को अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज भूमि के सभी प्रकार के राजकीय परिलाभों से वंचित होना पड रहा है, इस लिए इन दोनो ही नामों की राजस्व अभिलेख मे शुद्धिकरण किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अमरसिंह जी के एक पुत्र ललीतचन्द्र की लाओलाद मृत्यु हो चुकी है, उसके वारीगण एवं वादी संख्या 1 से 5 एक मात्र वारिस है, इसलिए ललीतचन्द [illegible] उसका नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:23:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 5 के पेतृक स्वामित्व एवं अधिपत्य की ग्राम सावा तहसील चित्तौड़गढ़ मे भी भूमि स्थित है जिस मे वादी संख्या 1 का नाम चन्द्रसिंह पिता अमरसिंह अंकित है तथा मानसिंह की मृत्यु होने से वादी संख्या 2/1, 2/2 का नाम दर्ज है।

वादीगण ने वर्तमान मे प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आवेदन करने हेतु उक्त वर्णित आराजीयात की नकल जमाबन्दी 23/10/2021 को प्राप्त की तो जानकारी मे आया कि वादी संख्या 1 का नाम उक्त जमाबन्दी मे राजेश व मृतक मानसिंह का नाम केवल मोतीसिंह दर्ज है जो गलत दर्ज चला आ रहा है, जिसे राजस्व रेकॉर्ड मे शुद्धिकरण किया जाकर राजेश उर्फ चन्द्रसिंह व मोतीसिंह मानसिंह के पुत्र वादी संख्या 2/1, 2/2 दर्ज किया जाना आवश्यक एवं आवश्यक है।

अन्त मे कस्बा चित्तौड़गढ़ की वर्तमान जमाबन्दी 2068-2071 मे अंकित खसरा नम्बर 3258, 3260 किता 2 रकबा 0.1900 हे. कृषि आराजीयात मे वादी संख्या 1 का नाम राजेश उर्फ चन्द्रसिंह पिता अमरसिंह व वादी संख्या 2/1, 2/2 के स्वर्गीय पिता का नाम मोतीसिंह उर्फ मानसिंह पिता अमरसिंह दर्ज किए जावे, मोतीसिंह उर्फ मानसिंह के विधिक वारिसान वादी संख्या 2/1 आशीष कुमार 2/2 राहुल कुमार के नाम दर्ज किए जावे तथा राजस्व अभिलेख से मोतीसिंह का नाम हटाये जाने की डिक्री प्रदान करने बाबत निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया [illegible] प्रार्थना अनुसार डिक्री दिए जाने [illegible] कोई आपत्ति नहीं है।

...लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:23:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बार पत्र की ताईद में वादी संख्या 1 वादी संख्या 21 एवं स्वतन्त्र गवाह श्यामलाल पिता शंकर लाल कुमावत निवासी सावा तथा जगदीशचन्द्र पिता गणेशलाल जोशी निवासी सावा के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किए। अधिवक्ता प्रतिवादीगण उक्त गवाहन के बयान से सहमत होने से जिरह नहीं की। बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर प्रस्तुत दस्तावेजात गवाहन के बयान आदि का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर चिन्तन मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज एवं शहादत के आधार पर बार पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद होती है। अतः वादीगण का बार पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068-2071 के खाता संख्या 495 में सह खातेदार राजेश के बजाय चन्दनसिंह उर्फ राजेश तथा मोतीसिंह के बजाय मानसिंह उर्फ मोतीसिंह एवं मानसिंह उर्फ मोतीसिंह के मृतक होने से उनकी बजाय वादी संख्या 21, 22 आशीष कुमार, राकेश कुमार पिता मानसिंह उर्फ मोतीसिंह अंकित किए जाने एवं सहखातेदार ललितचन्द्र के लाऔलाद फोत हो जाने से इनका नाम विलोपित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:23:38 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास श्री **श्याम सुन्दर बिश्नोई** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. चंदनसिंह उर्फ राजेश पिता अमरसिंह कोठारी नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
2. मानसिंह उर्फ मोतीसिंह पिता अमरसिंह कोठारी नि.सावा मृतक के बजाय –
   2/1 आशिष कुमार पिता मानसिंह उर्फ मोतीसिंह कोठारी नि.सावा हाल 6 ए–45 से.न. 9 हिरण मगरी उदयपुर
   2/2 रक्षित कुमार पिता मानसिंह उर्फ मोतीसिंह कोठारी नि.सावा हाल 6 ए–45 से. न. 9 हिरण मगरी उदयपुर

–वादीगण

बनाम

1. श्री सज्जनसिंह पिता अमरसिंह कोठारी नि.सावा तह.व जिला चित्तौड़गढ
2. श्री नाहरसिंह पिता अमरसिंह कोठारी नि.सावा तह.व जिला चित्तौड़गढ
3. सुरेशचन्द्र पिता अमरसिंह कोठारी नि.सावा तह.व जिला चित्तौड़गढ
4. श्री मोहनसिंह पि अमरसिंह कोठारी नि.सावा तह.व जिला चित्तौड़गढ मृतक के बजाए
   4/1 श्रीमती चांदीबाई पत्नी मोहनसिंह कोठारी नि.सावा तह.व जिला चित्तौड़गढ
   4/2 श्यामसुन्दर पिता मोहनसिंह कोठारी नि.सावा तह.व जिला चित्तौड़गढ
   4/3 बलवन्तसिंह पिता मोहनसिंह कोठारी नि.सावा नि.सावा तह.व जिला चित्तौड़गढ
   4/4 दीपशिखा पुत्री मोहनसिंह पत्नी धमेन्द्र काबरा नि.नीमच हाल मु.नागदा (म.प्र.)
   4/5 रूपरेखा पुत्री मोहनसिंह पत्नी कैलाश चेचानी नि.मावली जिला उदयपुर (राज.)

–प्रतिवादीगण

प्र.सं. 48/2022 (जी.सी.एम.एस.न. 2022/127)
वादपत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीगण की ओर से वकील श्री छोगालाल डाड की, और प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री जितेन्द्र औझा की उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश [illegible] है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] चित्तौडगढ़की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 495 मे सह खातेदार राजेश के बजाय चन्दनसिंह उर्फ राजेश तथा मोतीसिंह के बजाय मानसिंह उर्फ मोतीसिंह एवं मानसिंह उर्फ मोतीसिंह के मृतक होने से उनकी बजाय वादी सख्या 2/1 , 2/2 आशिष कुमार , रक्षित कुमार पिता मानसिंह उर्फ मोतीसिंह अंकित किए जाने एंव सहखातेदार ललीतचन्द्र के लाऔलाद फोत हो जाने से इनका नाम विलोपित किए जाने के आदेश दिए जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:23:38 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)